

सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (मजूरी कक्ष)-जीएल-XVIII/2023

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक उद्यम भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003


दिनांक: 6th October, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2017 से संशोधन-संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान - संबंधी।

अधोहस्ताक्षरी को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 तथा अनुबंध-III (ख) का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसमें केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरों का उल्लेख किया गया है। सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय डीए की दर वर्ष 2017 के वेतनमानों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 43.8% है।

2. महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर अर्थात् 43.8 % औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 तथा 07.09.2017 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की स्वीकृति दी गई है।
3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वगामी को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसईज़ के ध्यान में लाएं।
4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(नरेश कुमार)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों में वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।


(नरेश कुमार)
अवर सचिव